न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2015 (रे.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.12.2015

1–अभयसिंह पिता सौला बंजारा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2–विरमसिंह पिता सौला बंजारा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3–सुरजिया पिता सौला बंजारा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1–भंवरू पिता नारायण मीणा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (नाम तर्क)
2–श्रीमति चंपाबाई पुत्री नारायण मीणा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3–विजयसिंह पिता सौला बंजारा निवासी नागदिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–/रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार निम्बाहेड़ा दिनांक 13.01.2011 प्रकरण संख्या 7/2010 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितिः 1–श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपीलांट को मौजा नागदिया की आराजी नम्बर 104 रकबा 5.00 बीघा एवं आराजी नम्बर 105 रकबा 1.11 बीघा से अपीलार्थीगण को बेदखल करने के पारित आदेश दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 का नोटिस विपक्षी की मृत्यु की सूचना के साथ प्राप्त होने पर अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 के निकटतम कोई वारिस नहीं होकर मात्र एक बहिन होने और वह भी प्रकरण में पहले से ही पक्षकार होकर विपक्षी संख्या 2 होने से विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क करने के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा ने दिनांक 12.01.2016 को अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 व उसके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय से तलबीदा पत्रावली प्राप्त होने पर बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा नागदिया की आराजी नम्बर 104 रकबा 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 105 रकबा 1.11 बीघा पर अपीलार्थीगण का करीब 45 वर्षो से जरिये विक्रय कब्जा होकर अपीलांट काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष सही तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्य प्रस्तुत किये जिनकी अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा कोई वैधानिक जांच नहीं की और बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ तहसीलदार ने कार्यवाही की अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी। अपीलांट पर कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 वर्षो से अलग रह रहे हैं इसलिए पारिवारिक विवाद से विजय सिंह अपीलांट से किसी प्रकार बात नहीं करता है जिससे नोटिसों की भी प्रोपर तामील नहीं हुई है और अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला तथा अपीलांट अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेड़ा का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नोटिसों को देखने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण, जो कि अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षीगण है की विधिवत् तामील नहीं हुई है सभी विपक्षीगणों के नोटिसों पर एक ही व्यक्ति विजयसिंह के हस्ताक्षर हैं तथा नोटिसों पर शामिल शरीक रहने संबंधी भी कोई टिप्पणी तामील कुलिन्दा द्वारा अंकित नहीं है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को हुई कार्यवाही की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं मिला है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का आदेश दिनांक 13.01.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने/सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधि-सम्मत् निर्णय पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)